



पत्रांक : KGBV/67/2019-20/ 5482

दिनांक 12/08/2023

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,  
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (EE & SSA),  
सभी जिले।

विषय : कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में नियोजन हेतु बाह्य एजेन्सी द्वारा प्रेषित मेधा सूची (पैनल) के आलोक में जिलों में नियोजन प्रक्रिया पूर्ण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि राज्य के कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में वार्डेन-सह-शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका (भाषा), अंशकालिक शिक्षिका (विज्ञान एवं गणित), अंशकालिक शिक्षिका (सामाजिक विज्ञान) एवं लेखापाल-सह-सहायक के रिक्त पदों पर बाह्य एजेन्सी के द्वारा अभ्यर्थियों का मेधा सूची एवं अभ्यर्थियों का औपबधिक चयन सूची उपलब्ध कराया गया था। उपलब्ध कराये गये औपबधिक चयन सूची के द्वारा नियोजन किया गया। उपलब्ध कराये गये औपबधिक चयन सूची के उपरान्त रिक्त रह गये पदों पर बाह्य एजेन्सी के द्वारा जिलों को उपलब्ध कराये गये मेधा सूची से चयन सूची का निर्माण करते हुये निम्न समय तालिका के अनुसार कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में नियोजन किया जाय :-

क्र.सं.	गतिविधि	समय-सीमा
1.	बाह्य एजेन्सी के द्वारा पूर्व निर्धारित सभी शर्तों के आधार पर तैयार मेधा सूची को जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है।	दिनांक-20.07.2023
2.	जिलों को उपलब्ध कराये गये मेधा सूची से रिक्त रह गये पदों पर अभ्यर्थियों का चयन सूची का निर्माण करना।	दिनांक-14.08.2023
3.	पदवार एवं प्रखंडवार तैयार चयन सूची की स्थापित नियमों/रोस्टर के आलोक में जाँच एवं त्रुटि पाये जाने पर निराकरण करते हुये चयनित अभ्यर्थियों को सूचना (मोबाईल एवं ई-मेल के माध्यम से) देना एवं सूचना का साक्ष्य संधारित कर रखना।	दिनांक-16.08.2023
4.	बाह्य एजेन्सी को अभ्यर्थियों का चयनित सूची के साथ सत्यापन की तिथि पत्र के साथ उपलब्ध कराना।	दिनांक-17.08.2023
5.	संबंधित जिला कार्यालय में चयन सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण-पत्रों का मिलान एवं सत्यापन।	दिनांक-21.08.2023
6.	जिला नियोजन समिति की बैठक में अंतिम रूप से चयनित सूची का अनुमोदन।	दिनांक-23.08.2023
7.	जिला नियोजन समिति के सदस्य सचिव के द्वारा प्रखंडवार चयन सूची संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध किया जाना।	दिनांक-25.08.2023
8.	प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों को नियोजन-पत्र दिया जाना।	दिनांक-26.08.2023



अतः अनुरोध है कि ज्ञापांक-KGBV/592022-23/4834, दिनांक-19.07.2023 के द्वारा दिये गये निदेश एवं कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय नियोजन मार्गदर्शिका-2022 के विहित प्रावधानों के आलोक में अपने जिलान्तर्गत के.जी.बी.भी. में वार्डेन-सह-शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका (भाषा), अंशकालिक शिक्षिका (विज्ञान एवं गणित), अंशकालिक शिक्षिका (सामाजिक विज्ञान) एवं लेखापाल-सह-सहायक के रिक्त पदों पर नियमानुसार दिनांक-27.08.2023 तक नियोजन की कार्यवाही पूरी करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अनुपालन प्रतिवेदन से अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय।

इस पर राज्य परियोजना निदेशक का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वसभाजन

(मो. इमत्याज आलम)  
राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी